	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
[illegible]-2-21	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उप. साक्ष्यवादी में वादी PW, अवलोकनकर्ता को शपथपत्र पेश कर दस्तावेज प्रदर्श करवाये गये वास्ते बहस पत्रावली 25-2-21 को पेश हो। (sd)	
25-2-21	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित हैं। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी ~~राज्य कार्यवश~~ बाहर दौरे मे तशरीफ रखते है। ~~अन्य कार्य मे व्यस्त है~~। अभिभाषणगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 3-3-21 को पेश हों। (sd)	
3-3-21	पत्रावली पेश वकील वादी उपस्थित आदेश सुनाया नहीं जा सका वास्ते आदेश पत्रावली 4-3-2021 को पेश हो। (sd)	
4-3-2021	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित आदेश सुनाया गया वादीगण का वाद-पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (sd) उपखण्ड अधिकारी [illegible] (बूंदी)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.03.31 18:48:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी, जिला बून्दी (राज0)

वाद सं0 79/दावा/2019
दायरा दिनाकं 15.11.2019

पीठासीन अधिकारी
श्री प्रमोद कुमार(R.A.S.)

1 भवानीशंकर आयु 34 वर्ष आ0 दानमल जाति मीणा निवासी बहडावली तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी (राज0)
2 जगमोहन आयु 27 वर्ष आ0 दानमल जाति मीणा निवासी बहडावली तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी (राज0)
3 श्रीमती रामस्वरूपी बाई आयु 52 वर्ष बेवा दानमल जाति मीणा निवासी बहडावली तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी (राज0)

...वादीगण

बनाम दिनांक 04.03.2021

1 गजानन्द आ0 बरधीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम बहडावली
2 बालमुकुन्द आ0 बरधीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम बहडावली
3 सौभाग आ0 बरधीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम बहडावली
4 मांगीलाल आ0 बरधीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम बहडावली
5 कमलेश आ0 बरधीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम बहडावली
6 शम्भूलाल आ0 हजारीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम बहडावली
7 रघुवीर आ0 हजारीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम बहडावली
8 रूपलीला पुत्री दानमल जाति मीणा निवासी ग्राम बहडावली
9 रामजरोखा पुत्री दानमल जाति मीणा निवासी ग्राम बहडावली
10रामप्रतापी पुत्री छीत्या जाति मीणा निवासी ग्राम बहडावली तहसील इन्द्रगढ़ जिल बून्दी राज0

...प्रतिवादीगण

<u>वाद – वास्ते स्थाई निषेधाज्ञा</u>

188 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांक 04.03.2021

वादी ने अन्तर्गत धारा 188 रा[illegible] काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत कर कथन किया कि भूमि खसरा संख्या [illegible] 1.83 हैक्टेयर, खसरा संख्या 199 रकबा 3.42हैक्टेयर, खसरा संख्या 626 [illegible]बा 0.05 हैक्टेयर, खसरा किता 3

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.03.31 18:48:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी, जिला बून्दी (राज0)

वाद सं0 79/दावा/2019 — पीठासीन अधिकारी

दायरा दिनाकं 15.11.2019 — श्री प्रमोद कुमार(R.A.S.)

1 भवानीशंकर आयु 34 वर्ष आ0 दानमल जाति मीणा निवासी बहडावली तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी (राज0)

2 जगमोहन आयु 27 वर्ष आ0 दानमल जाति मीणा निवासी बहडावली तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी (राज0)

3 श्रीमती रामस्वरूपी बाई आयु 52 वर्ष बेवा दानमल जाति मीणा निवासी बहडावली तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी (राज0) ...वादीगण

बनाम — दिनांक 04.03.2021

1 गजानन्द आ0 बरधीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम बहडावली

2 बालमुकुन्द आ0 बरधीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम बहडावली

3 सौभाग आ0 बरधीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम बहडावली

4 मांगीलाल आ0 बरधीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम बहडावली

5 कमलेश आ0 बरधीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम बहडावली

6 शम्भूलाल आ0 हजारीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम बहडावली

7 रघुवीर आ0 हजारीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम बहडावली

8 रूपलीला पुत्री दानमल जाति मीणा निवासी ग्राम बहडावली

9 रामजरोखा पुत्री दानमल जाति मीणा निवासी ग्राम बहडावली

10रामप्रतापी पुत्री छीत्या जाति मीणा निवासी ग्राम बहडावली तहसील इन्द्रगढ़ जिल बून्दी राज0 ...प्रतिवादीगण

<u>वाद – वास्ते स्थाई निषेधाज्ञा</u>

188 आर.टी.एक्ट

निर्णय — दिनांक 04.03.2021

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.03.31 18:48:40 IST
Reason: SelfAttested

वादी ने अन्तर्गत धारा 188 रा[illegible]काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत कर कथन किया कि भूमि खसरा [illegible] 1.83 हैक्टेयर, खसरा संख्या 199 रकबा 3.42हैक्टेयर, खसरा संख्या 626 [illegible] 0.05 हैक्टेयर, खसरा किता 3

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned by CamScanner

योग रकबा 5.30 हैक्टेयर, वाके ग्राम बहडावली तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी में स्थित है। जिसके वर्तमान राजस्व रिकार्ड में 1/2 हिस्से के खातेदार प्रतिवादनी संख्या 10 रामप्रतापी एवं शेष भूमि के 1/10 – 1/10 हिस्से के खातेदार वादीगण 1 लगायत 3 व प्रतिवादीगण 8 व 9 है। प्रतिवादी संख्या 10 द्वारा वर्णित आराजी में निहित अपने हिस्से 1/2 का हकत्याग वादीगण संख्या 1 व 2 के हक में पंजीकृत दस्तावेज द्वारा निष्पादित कर दिया गया है। एवं प्रतिवादनी 8 व 9 द्वारा अपने सम्पूर्ण हिस्से का हकत्याग वादनी संख्या 3 के पक्ष में पंजीकृत दस्तावेज द्वारा निष्पादित कर दिया गया है। इस प्रकार वाद वर्णित सम्पूर्ण आराजी रकबा 5.30 हैक्टेयर के खातेदार वादीगण हो गये है। वाद वर्णित आराजी सरकारी धोरे से सिंचित है। प्रतिवादीगण 1 लगायत 7 की कृषि भूमि वादीगण के खेत के बाद स्थित है, जिसकी सिचांई अन्य किसी सरकारी धोरे से होती है। प्रतिवादीगण 1 लगायत 7 ताकत के बल पर वादीगण की वाद वर्णित आराजी में नया धोरा खुदाई कर कायम करने पर आमादा है, जिसका उन्हे किसी प्रकार का कोई कानूनन अधिकार प्राप्त नही है। प्रतिवादीगण 1 लगायत 7 दिनांक 28.10.2019 को जबरन खेत में नया धोरा कायम करने के लिए खुदाई करने लगे जिसको वादीगण ने इंकार किया तथा लड़ाई झगड़ा करने लगे। जो वाद कारण रहा है वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वादीगण की आराजी पर प्रतिवादीगण दखल देते है तो उन्हें स्थाई निषधाज्ञा से पाबन्द कराया जावें और अन्त में निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें।

वादीगण का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये नोटिस सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 बावजूद सूचना के दिनांक 18.11.2020 को अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी। गई वादीगण ने वादपत्र के समर्थन मे वादी भवानीशंकर का शपथ पत्र पी.डब्ल्यू 1 का साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया गया व दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबन्दी सम्वत् 2075–2078 प्रदर्श 1, रिलीज डीड की छायाप्रति पेश की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.03.31 18:48:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Scanned by CamScanner

हमारे द्वारा वादीगण के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वादीगण के अधिवक्ता ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादीगण का दावा डिक्री किया जावे।

हमारे द्वारा वादीगण के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2075–2078 प्रदर्श 1 का अवलोकन किया गया। वाद विषयक आराजी वादीगण के खातेदारी में दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 की ओर से वादपत्र में कोई जवाब दावा पेश नही किया गया न ही साक्ष्य सबूत पेश किए गए है। जिनके अभाव में वाद पत्र का खण्डन होना नही पाये जाने से वादीगण का वादपत्र साबित होना पाया जाता है।

अतः वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाकर खसरा संख्या 198 रकबा 1.83 हैक्टेयर, खसरा संख्या 199 रकबा 3.42 हैक्टेयर, खसरा संख्या 626 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा किता 3 योग रकबा 5.30 हैक्टेयर, वाके ग्राम बहडावली तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी में स्थित कृषि भूमि पर प्रतिवादीगण 1 लगायत 7 नया धोरा नही बनावें एवं वर्णित आराजी के किसी भी हिस्से पर खुदाई नही करे धौरे का निमार्ण नही करे तथा वादीगण को उनकी खातेदारी कृषि भूमि पर किसी प्रकार का व्यवधान नही करें, न ही किसी अन्य से करावें। इस बाबत् प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम हो दाखिल दफतर हों।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 04.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.03.31 18:48:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner